न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कविता गोदारा, आर0ए0एस0

वाद सं ::100/2004
जीसीएमएस नं0 2004/00003

सोहनलाल उम्र 55 साल पुत्र श्री महादेव उर्फ म्हादू जाति चेजारा निवासी ग्राम गोवटी तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।राज0।

– वादी,

बनाम

1. जगदीश उम्र 45 साल पुत्र मोहन लाल जाति चेजारा नि0 ग्राम गोवटी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।मृत।
   1/1 सोहनी पत्नी जगदीश
   1/2 रामोतार । पुत्रगण जगदीश
   1/3 गोपाल ।
   1/4 अशोक ।
   1/5 महेन्द्र ।
   1/6 मुकेश ।
   1/7 भंवरी । पुत्रियां जगदीश
   1/8 विमला ।
   1/9 लक्ष्मी ।
   1/10सुमन ।
   1/11पुजा ।
   1/12सुमित पुत्र झिमकु पुत्री जगदीश।
   1/13ज्योति । पुत्रिया झिमकू पुत्र जगदीश
   1/14पिंकू ।
   समस्त जाति चेजारा निवासी ग्राम गोवटी तह0 दांतारामगढ़, जिला सीकर।
2. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 शाखा पलसाना तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर ।राज0। जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. भूमिधारी तहसीलदार, दांतारामगढ़, जिला सीकर ।राज0।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1. श्री कैलाश स्वामी,वकील वादी की ओर से।
2. श्री उत्तम कुमार शर्मा, प्रति0सं01/1,1/3से 1/6,1/8,1/9 की ओर से।

दावा अं0 धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

निर्णय दिनांक :: 25.08.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि वादी व प्रति0सं0 1 आपस में सगे चाचा भतीजा है। प्रति0सं0 1 का पिता मोहन वादी सोहन का सगा बडा भाई था। वादी जब 6 माह का ही था। उस समय वादी के पिता का देहान्त हो गया। वादी का पालन पोषण एंव परवरिश प्रति0सं0 1 के पिता मोहन ने ही की थी। वादी व प्रतिवादी सं0 1 का पिता मोहन संयुक्त हिन्दू

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

परिवार के सदस्य थे। वादी एंव प्रति0सं0 1 के संयुक्त हिन्दू परिवार की कृषि भूमियां ख0नं0 243/2530, ख0नं0 246, 247, 1740/2454, 1741/2455, 1741/2456, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750,1754, 1755 वाके ग्राम डूंकिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। वादी का पिता म्हादू उर्फ महादेव का देहान्त राज0काश्त0अधिनियम लागू होने से पहले हो गया था। राज0काश्त0अधिनियम लागू होने के दिन वादी का बड़ा भाई मोहन जो कि प्रति0सं0 1 का पिता है। वही संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता खानदान था। इस कारण समस्त कृषि भूमियां वादी के बड़े भाई मोहन अकेले के नाम दर्ज हो गई। जबकि यह कृषि भूमियों संयुक्त हिन्दू परिवार की थी व कर्ता खानदान होने के कारण प्रति0सं0 1 के पिता के अकेले के नाम से खातेदारी में दर्ज हो गई। प्रति0सं0 1 के पिता मोहन ने वादी को आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व अपने संयुक्त परिवार से अलग कर दिया तथा वादी को अन्य कृषि भूमियों के अलावा दावा में चुनौतिग्रस्त कृषि भूमियों में ख0नं0 243/2530 रकबा 0.07 है0 ख0नं0 246 रकबा 0.50 है0 ख0नं0 247 रकबा 0.66 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.23 है0 बंटवारे में पृथक से दे दी, जिसपर वादी ने पुख्ता मकान बनाकर रिहायशी कर रखी है तथा उक्त कृषि भूमियों पर काबिज काश्त है। वांदी को बंटवारे में प्राप्त हुई उपरोक्त कृषि भूमियों की खातेदारी वादी अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी बंटवारे में प्राप्त उक्त कृषि भूमियों पर पिछले 35 वर्ष से शांतिपूर्वक काबिज काश्त व आबाद है। इस कारण भी वादी का कब्जा प्रतिकूल कब्जे की श्रेणी में आता है। इस आधार पर भी बंटवारे में प्राप्त कृषि भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रति0सं0 1 को भी वादी के कब्जे काश्त की उक्त कृषि भूमियों की खातेदारी वादी के नाम दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। वादी ने वाद पत्र पेश कर दावे में चुनौतिग्रस्त कृषि भूमि ख0नं0 243/2530 रकबा 0.07 है0 ख0नं0 246 रकबा 0.50 है0 ख0नं0 247 रकबा 0.66 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.23 है0 वाके ग्राम डूकिया का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने व राजस्व रिकार्ड में अमल कराया जाकर उक्त खसरा नम्बरान की खातेदारी से प्रति0सं0 1 का नाम हजब किये जाने के आदेश करने हेतु निवेदन किया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 जरिये वकील उपस्थित आये तथा जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि मद सं0 1 स्वीकार है। मद सं0 2 स्वीकार है। मद सं0 3 से 10 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से तहरीर है, गलत होने से स्वीकार नहीं है। मद सं0 11, 12, 13 कानूनी है। मद सं0 14 आंशिक रूप से स्वीकार है। विशेष कथन में अंकित किया है कि विवादित कृषि भूमियां प्रति0सं0 1 के कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकार की कृषि भूमियां है। प्रतिवादी अपने पिता के जीवनकाल से ही उपरोक्त विवादित कृषि भूमियों पर निरन्तर व निर्बाध गति से शांतिपूर्वक कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। प्रति0सं0 1 के पिता की मृत्यु के बाद प्रति0सं0 1 की विरासत में प्राप्त है, जिसको वादी किसी भी प्रकार से कानूनन अपने काम करवाने का अधिकारी नहीं है। विवादित कृषि भूमियों को प्रति0सं0 1 अपने पिता के जीवनकाल से ही अपने पिता के साथ रहकर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। विवादित कृषि भूमियों पर प्रतिवादीसं0 1 के पिता के

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

द्वारा अपने जीवनकाल में ही मकान बनाया था, जिस पर प्रति0सं0 1 अपने पिता के समय से ही आवास निवास करता चला आ रहा है। प्रति0सं0 1 विवादित भूमियों का रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्त है, जो प्रति0सं0 1 को अपने पिता की विरासत से प्राप्त है। उक्त भूमियों पर प्रति0सं0 1 के अलावा अन्य व्यक्ति का कोई हक संबंध सरोकार नहीं है। प्रति0सं0 1 गांव का भोला भाला गरीब किसान है। वादी ने प्रति0सं0 1 को हैरान व परेशान करने की गरज से उक्त दावा पेश किया है। प्रति0सं0 1 ने वर्णित भूमियों को उपजाउ बनाने हेतु उस पर कूप आदि का निर्माण करवाया है, जो कि प्रति0सं0 1 के जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन उक्त कृषि भूमियां है। इनके अलावा अन्य कोई परिवार पालने का साधन नहीं होने के कारण प्रति0सं0 1ने इस हेतु प्रति0सं0 2 से ऋण भी प्राप्त किया है। जवाब दावा पेश कर वादी का दावा विशेष हर्जे खर्चे सहित खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है।

वादी ने जवाबुल जवाब पेश कर निवेदन किया कि विशेष कथन की मद सं0 16 जिस प्रकार से अंकित की गई है, गलत है, अस्वीकार है। मद सं0 17 जिस प्रकार से लिखी है, गलत होने से अस्वीकार है। मद सं0 18 जिस प्रकार से लिखी है, गलत होने से अस्वीकार है। मद सं0 19 जिस प्रकार से लिखी है, गलत होने से अस्वीकार है। जवाबुल जवाब पेश कर प्रतिवादी द्वारा जवाब दावे में अंकित किये गये विशेष कथन को अस्वीकार कर वादी का दावा डिक्री करने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण में बाद सुनवाई न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण में दिनांक 30.09.2011 को निर्णय पारित वाद में डिक्री किये जाने पर प्रतिवादी सं0 1 द्वारा माननीय भू प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के यहां निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2012 को प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2011 खारिज करते हुए इस निर्देश के साथ रिमान्ड किया गया कि प्रकरण में प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 14(3) सीपीसी का निर्णय करते हुए साक्ष्य सबूत लेते हुए अपना निर्णय पुनः पारित करे। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण में पुनः सुनवाई प्रारम्भ की गई।

साक्ष्य के दौरान साक्ष्य में वादी ने स्वंय का शपथ–पत्र पेश किया। साक्ष्य में शपथ पत्र नत्थू सिंह पुत्र ओनाड सिंह, राजपूत नि0 ग्राम डूकिया तह0 दांतारामगढ़, शपथ पत्र चन्द्राराम पुत्र लादूराम गुर्जर नि0 ग्राम गोवटी तह0 दांतारामगढ़, सीकर, शपथ पत्र रूडाराम पुत्र नारयणराम कुमावत नि0 ग्राम गोवटी तह0 दांतारामगढ़, सीकर पेश किये जो शा0 मि0 किये गये। वादी ने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति नक्शा ट्रेस ग्राम डूकिया तह0 दांतारामगढ़,सीकर प्रदर्श–01,जमाबंदी सं0 2058–61 ग्राम डूकिया प्रदर्श–02, मिलान क्षेत्रफल ग्राम डूकिया की प्रमा0प्रति प्रदर्श–03, फर्द जांच मौका ग्राम डूकिया की प्रति प्रदर्श–04,प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमा0 प्रति प्रदर्श–05,एफ0आर0 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–06, अपराध विवरण फार्म की प्रमा0 प्रति प्रदर्श–07,अंतिम फार्म रिपोर्ट की प्रमा0प्रति प्रदर्श–08,नक्शा मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–09 प्रदर्शित करवाये। साक्ष्य हेतु शपथ पत्र वादी का स्वंय का शपथ पत्र,शपथ–पत्र चन्द्राराम पुत्र लादूराम,गुर्जर नि0 गोवटी, तह0 दांतारामगढ़,सीकर, रूडाराम पुत्र नारायणराम कुमावत नि0 ग्राम डूकिया, तह0 दांतारामगढ़, सीकर, शपथ–पत्र नत्थूसिंह पुत्र ओनाड़ सिंह राजपूत नि0 डूकिया, तह0 दांतारामगढ़,सीकर का पेश किया गया।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

प्रतिवादीगण की साक्ष्य में शपथ–पत्र महेन्द्र पुत्र जगदीश जाति चेजारा नि0 ग्राम गोवटी, तह0 दांतारामगढ़,सीकर, शपथ–पत्र गोपाल पुत्र जगदीश जाति चेजारा नि0 ग्राम गोवटी, तह0 दांतारामगढ़,सीकर, शपथ–पत्र मुकेश पुत्र जगदीश जाति चेजारा नि0 ग्राम गोवटी, तह0 दांतारामगढ़,सीकर, शपथ–पत्र सोहनी पत्नि जगदीश जाति चेजारा नि0 गोवटी, तहसील दांतारामगढ़, सीकर, शपथ–पत्र सोहनलाल जाखड पुत्र भागुराम जाति जाट नि0 डूकिया तहसील दांतारामगढ़, सीकर का पेश किया। प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष में दस्तावेजी साक्ष्य में खसरा गिरदावरी संवत् 2009–12 प्रदर्श–डी–1 व प्रदर्श–डी–2, खसरा गिरदावरी संवत् 2013–17 प्रदर्श–डी–3, खसरा गिरदावरी संवत् 2018–21 प्रदर्श–डी–4, खसरा गिरदावरी संवत् 2018–19 प्रदर्श–डी–5, खसरा गिरदावरी संवत् 2020–23 प्रदर्श–डी–6, खसरा गिरदावरी संवत् 2020–23 प्रदर्श–डी–7, खसरा गिरदावरी संवत् 2028–31 प्रदर्श–डी–8, खसरा गिरदावरी संवत् 2032–35 प्रदर्श–डी–9, खसरा गिरदावरी संवत् 2036–39 प्रदर्श–डी–10, खसरा गिरदावरी संवत् 2036–39 प्रदर्श–डी–11, खसरा गिरदावरी संवत् 2040–43 प्रदर्श–डी–12, खसरा गिरदावरी संवत् 2040–43 प्रदर्श–डी–13, खसरा गिरदावरी संवत् 2040–43 प्रदर्श–डी–14, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–डी–19,पर्चा सेटलमेंट प्रदर्श–डी–20 व 21, जमाबंदी 2019–22 प्रदर्श–डी–22, जमाबंदी 2039–42 प्रदर्श–डी–23, जमाबंदी 2026–30 प्रदर्श–डी–24, जमाबंदी 2031–34 प्रदर्श–डी–25, वर्तमान जमाबंदी संवत् 2076–79 प्रदर्श–डी–26 प्रदर्शित करवाये।

वाद में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादी की पुश्तैनी व विरासतन प्राप्त कृषि भूमि है, जो उसे विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त हुई है, लिहाजा वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार है ? –जिम्मे वादी
2. आया वादग्रस्त आराजियात पर वादी का कोई हक अधिकार अथवा कब्जा काश्त नहीं है, लिहाजा वादी किसी अनुतोष का हकदार नही है तथा वाद काबिल खारिज है ? –जिम्मे प्रतिवादी
3. अनुतोष।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,जवाब दावा, काउन्टर क्लेम,साक्ष्य में वादीगण एंव प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों एंव न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद वादी व प्रति0सं0 1 के बीच 2004 से विचाराधीन है। वादी व प्रति0सं0 1 सगे चाचा भतीजा है। दोनों एक ही परिवार से है। दिनांक 30.09.2011 को वादी के पक्ष में निर्णय होकर वाद डिक्री हो गया था। वादी को खातेदार घोषित कर दिया था। चुंकि सहवन से एक दस्तावेज रिकॉर्ड से वंचित रह गया था। प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 14(3) सीपीसी का रह गया था। प्रतिवादी सं0 1 माननीय भू प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के यहां अपील की गई, जिसे स्वीकार कर पुनः बाद सुनवाई का निर्णय का आदेश पारित किया गया। इनके द्वारा नामान्तरकरण की भी अपील की गई। प्रकरण में तनकी कायम कर दी गई है व गवाह भी पेश किये गये है। यह भूमि संयुक्त परिवार की थी व भाई बंटवारे में मोहन के कब्जे में आई। भूमि की खातेदारी

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

प्रतिवादी के नाम दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–03 है। तहसीलदार, दांतारामगढ से मौके की जांच करवाई गई, जो प्रदर्श–04 में तहसीलदार की रिपोर्ट है। 60 साल से कब्जे में सोहन के पास है। वादी जब 6 माह का ही था। उस समय वादी के पिता का देहान्त हो गया। प्रदर्श–04 से मेरा कब्जा साबित होता है। प्रदर्श–05 एफआईआर के अनुसार प्रतिवादी का चालान हुआ और उसको दंडित भी किया गया। प्रदर्श–07 जो मौका पर्चा पुलिस द्वारा बनाया गया। पुलिस द्वारा जांच की गई, जिसमें मेरा कब्जा साबित होता है। प्रदर्श–08 व 10 एफआर में प्रतिवादी को दोषी माना गया। प्रदर्श–09 प्रतिवादी के एक पुत्र को सजा हुई, उसकी उन्होंने अपील की जिसमें निर्णय करते हुए उसको पाबन्द भी किया गया। दस्तावेज सारे प्रतिवादी के पक्ष में ही है, मैं भी मानता हूं। कब्जा मेरे द्वारा साबित कर दिया गया। रूलिंग टी0आई0 में लगी हुई है। मेरे मौखिक साक्ष्य का खण्डन नहीं किया गया। सिर्फ एक गवाह प्रस्तुत किया गया, जो ट्रैक्टर वाला ही था। माननीय भू प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के निर्णय अनुसार निर्णय किया जाना है। प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 14(3) सीपीसी मेरा ही था। बहस के दौरान वकील वादी ने न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1993 पेज सं0 206, आरआटी 2023 (1) पेज सं0 365, आरआरटी 2023 पेश किये (1) पेज सं0 440, आरआरटी 2022 (1) पेज सं0 224 पेश किये।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी ने लिखित बहस पेश की है तथा मौखिक बहस पर निवेदन किया कि वादग्रस्त ख0नं0 243/2530, ख0नं0 246, 247 जिनके पुराने खसरा नंबर 118 है। संवत् 2008 से 2028 तक पाना पुत्र सवाई सिंह के नाम दर्ज थी। प्रति0सं01 व 14 के द्वारा खुदकाश्त के रूप में दर्ज था। भूमि मोहन के नाम दर्ज हो गई। यह पैतृक नहीं है। मोहन के खुदकाश्त की जमीन थी। मोहन के पिता म्हादू का दस्तावेजों में कहीं भी नाम नहीं था। पैतृक नहीं होने के कारण दावा खारिज योग्य है। वादी के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं, जिससे यह साबित होता हो कि जमीन संयुक्त खातेदारी की हो। वाद में बंटवारे का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। माधो के 6 पुत्र थे। मोहन माधो के जीवनकाल में ही अलग हो गया था। ख0नं0 692,693 की जमाबंदी पेश की है, जो संयुक्त भूमि है। वादी द्वारा काश्तकारी अधिनियम से पूर्व का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। माधो के जीवित पुत्रों को पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही बयान करवाये है। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट पेश की गई है। यह तहसीलदार की रिपोर्ट सही तरीके से तैयार नहीं की गई। जांच रिपोर्ट एकपक्षीय तैयार हुई है। जगदीश को कोई नोटिस भी नहीं दिया और हस्ताक्षर भी नहीं किये गये। भूमि पर कब्जा दस्तावेज के आधार पर साबित किया जा सकता है। कमिश्नर की रिपोर्ट पर मौका तय नहीं किया जा सकता है। वादी द्वारा जो गवाह पेश किये गये है, उन्होंने कभी भी इस जमीन को काश्त करते हुए नहीं देखा है।पूर्व में जो डिक्री जारी हुई। उस समय हमारे दस्तावेज रिकॉर्डपर नहीं थे। फौजदारी प्रकरण के जो दस्तावेज है। वह मारपीट से संबंधित है। उद्घोषणा के लिए सक्षम नहीं है। इनके पास सिर्फ कमिश्नर की रिपोर्ट है और कोई दस्तावेज नही है। जमाबंदी व लागन की रसीद पेश करके मौका साबित किया जा सकतां है। प्रति0सं0 1 व 14 मोहन की खुदकाश्त जमीन की पैतृक नहीं थी। कमिश्नर की रिपोर्ट से कब्जा साबित नहीं होता हैं उद्घोषणा की रिलीफ नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वादग्रस्त भूमि

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

संयुक्त/पैतृक नहीं है, जो साबित नहीं कर पाये है। लिखित बहस के साथ वकील वादी ने न्यायिक दृष्टांत 2013 (2) डीएनजे राज. पेज सं0 725, 2012 आरआरडी पेज सं0 393,2009 आरआरडी पेज सं0 322, 2000 आरआरडी 95, 2016 (2) डीएनजे राज0 473, 2011 आरआरडी 508 पेश किये।

वाद पत्र एंव जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम तथा जवाब काउन्टर क्लेम में अंकित कथनों के आधार पर कायम की गई तनकीयात का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है :–

तनकी सं0– 01

आया वादग्रस्त आराजी वादी की पुश्तैनी व विरासतन प्राप्त कृषि भूमि है, जो उसे विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त हुई है, लिहाजा वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार है ? –जिम्मे वादी

तनकी सं0 1 का सिद्धि भार वादी पर रखा गया, जिसके बाबत वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य एंव गवाह पेश किये गये। दस्तावेजात एंव गवाहों के बयानों का परीक्षण किया। वादग्रस्त कृषि भूमि ख0नं0 243/2530 रकबा 0.07 है0 ख0नं0 246 रकबा 0.50 है0 ख0नं0 247 रकबा 0.66 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.23 है0 वाके ग्राम डूकिया के संबंध में वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की पुश्तैनी व विरासतन भूमि होने से वादी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। इस कथन के बाबत वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रतिवादी सं0 1 के पिता मोहन लाल का नाम रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा था। उनकी मृत्यु के उपरान्त विवादित आराजी का नामान्तकरण प्रति0सं0 1 जगदीश के नाम स्वीकृत हुआ तथा उसके बाद से प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार प्रति0सं0 1 जगदीश जो कि वादी का सगा भतीजा है, का नाम राजस्व रिकार्ड में निरन्तर चला आ रहा है। वादी का कथन है कि उक्त भूमि पुश्तैनी है, के अनुसार वादी एंव प्रतिवादी सं0 1 के पिता मोहनलाल सगे भाई है, विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में उनके पिता के नाम दर्ज होने उपरान्त यह तथ्य सिद्ध होगा कि वादी विवादित आराजी में विरासतन हकदार है, परन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात उनके भाई के नाम से संधारित है तथा निरन्तर चले आ रहे है। वादी द्वारा अपने बयान में कथन किया है कि वादी एंव प्रति0सं0 1 के पिता मोहन कुल 6 भाई थे। उक्त तथ्य यह दर्शाता है कि वादी द्वारा पुश्तैनी भूमि में हिस्सा का अनुतोष में अपने शेष 4 भाईयों जो कि वाद में हितबद्ध एंव आवश्यक पक्षकार होने चाहिए थे, को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है।

वादग्रस्त भूमि ख0नं0 243/2530, ख0नं0 248, 247, 1740/2454, 1741/2455, 1741/2456, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1754, 1755 वाके ग्राम डूकिया तह0 दांतारामगढ़, सीकर एकल खाता के खसरों की भूमि है। वादी द्वारा विशिष्ट खसरों के संबंध में खाता विभाजन का कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं किया, जो मूल खाते के विशिष्ट खसरों पर वादी का कोई अधिकार एंव हित दर्शाता हो। उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त खातेदारी घोषणा के बाबत वादी द्वारा वाद पत्र एंव बहस के प्रतिकूल कब्जा के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। प्रतिकूल कब्जा के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा बहस के समर्थन में प्रस्तुत दृष्टांत 2016 (2) डी0एन0जे0 (राज0) 473, आर0आर0डी0 14.08.2011 की रोशनी में भी वादी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

अतः वादी वादग्रस्त भूमि को विरासतन व पुश्तैनी साबित करने में असफल होने तथा प्रतिकूल कब्जा के आधार पर अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने के परिणामस्वरूप तनकी सं0 1 बहरा प्रतिवादीगण खिलाफ वादी तय की जाती है।

तनकी सं0– 02

आया वादग्रस्त आराजियात पर वादी का कोई हक अधिकार अथवा कब्जा काश्त नहीं है, लिहाजा वादी किसी अनुतोष का हकदार नही है तथा वाद काबिल खारिज है ? –जिम्मे प्रतिवादी

तनकी सं0 2 का सिद्धि भार प्रतिवादीगण पर रखा गया, जिसके संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी सांक्ष्य एंव बयान पेश किये गये। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का परीक्षण एंव निर्धारण तनकी सं0 1 के तहत किया जा चुका है। चूंकि तनकी सं0 2 तनकी सं0 1 के समानान्तर है। अतः तनकी सं0 2 बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादी तय की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एंव तनकीवार निस्तारण के आधार पर वाद वादी पोषणीय नहीं होने के परिणामस्वरूप खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो।

(कविता गोदारा)
आर0ए0एस0
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर